

उपखण्ड अधिकारी - खण्डेला  
बड़ी पसाड़ v/s परतुराम वर्मा

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

शा. - 98/2020

तारीख हुकम

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ

20-09-2020

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत  
प्राथमिक पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया  
जाने पर पत्रावली निम्न इच्छाएँ तारीख  
पेशी दिनांक 02-12-2020 से तलब की जाकर  
आज चेन्नै हुई प्रतिवादी सं 4 की तामील सम्पत्ति  
रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्पत्ति तामील  
उत्तरी और से कोर्ट हाजिर अदालत नहीं आया  
है। अतः प्रतिवादी सं 4 के विरुद्ध एकपक्षीय  
कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं 2  
व 3 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा एडो  
ने इच्छाएँ जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली  
किया गया।

प्रकरण में बहल वकील वादी सुनी  
गई। दोबाने बहल वकील वादी ने मुलाबिह  
राजीनामा दावा डिही परमाया जाने का निवे-  
दन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध  
राजानव रेकार्ड, राजीनामा इच्छाएँ जवाब  
कादि का अवलोकन किया गया।



सूटि प्रतिवादी सं 1 ने वादी के दावे  
को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया  
है एवं प्रतिवादी सं 2 व 3 ने वादी के दावे  
को स्वीकार करते हुए इच्छाएँ जवाब  
पेश किया है। अतः बाद, वादी मुलाबिह  
राजीनामा डिही किया जाकर आदेश दिया  
जाता है कि :-

धौषठा

तम ग्राम नेहरो की बगी पटवार हलका  
शेषल तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज्य)  
अवस्थित कृषि भूमि प्लॉट नं 195 के राजानव  
रेकार्ड से मुक्त जगला पत्र सूटिया का नाम



उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>हजफ भिजा जाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा का वादी को एवं 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 1 को जवाबदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल परामर्श हो तथा तदनुसार प्रकरण में पन्चा डिक्री मुर्गीव हो। पचावली कुंसल शुम्भार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल कुंसल रेकार्ड हो। यह निर्णय आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित पुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">             (राकेश कुमार)            उपखण्ड अधिकारी AS            खण्डेसर (सीकर)            खण्डेला (सीकर)         </p>	

# डिक्री मुकदमा इज्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी

खण्डेला

श्री राकेश कुमार RAS

① बद्रीप्रसाद पुत्र स्व गोदूराभ ① परतूराम पुत्र स्व जगला उर्फ जशू

दावा बाबत घोषणा व दुकाली रेकार्ड

मुकदमा नं. 98 सन 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु श्री राकेश कुमार RAS

व हाजिरी श्री हंसराज मावलिया एमिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री विजय कुमार शर्मा एम

मिनजानिब मुदायलह पैरा होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

तन ग्राम नेहरो की दागी परिवार हलका रोयल तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज) अवस्थित कृषि श्रमिण नं 195 के राजस्व रेकार्ड से मृतक जगला पुत्र इंचा का नाम हजफु किपा जाकर उक्त श्रमि के 1/2 हिस्सा का

ज  मुबलिन  बाबत

कर्ता इस मुकदमे के मध्य सूत वरारह

खरीख अदायगी तक  का अदा करे।

वसत मेरे दस्तखत व मुहल अदालत के आज तारीख 30 09 2020

गरी की गई।



(राकेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा मदाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

खर्चा के कारन पर कुल खर्चा हर दो फरीकेल का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया पडत हो का नहीं, दर्ज कनाका चाहिए।

× पौत्र जगला उर्फ जगू जाति जाट निवासी ग्राम  
नेहरो की ढाणी तन बामणवान तहसील खण्डेला  
जिला सीकर (राज०)

- (वादी)

धनाम

× ① मनफूली पुत्री स्व० गौदुराम

③ प्रभाती पुत्री स्व० जगला उर्फ जगू जाति  
जाट निवासी ग्राम नेहरो की ढाणी तन बामण-  
वास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

④ भूमिदारी तहसीलदार खण्डेला

- (प्रतिवादीगण)

×

× वादी को एवं 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नं० 1 को  
खातेदार काश्तकार घोषित किया जा रहा है। इकता-  
मुरतार राजानव रेकार्ड में अमल परामद हो।



पुणव 1/15  
(राकेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)